बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०

खाद्य भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-2 पटना-01

पत्रांक– 02:05:206:01:2016– 2998 परिवहन/पटना, दिनांक– 27.03.18

प्रेषक,

महाप्रबंधक (जन वितरण)
निगम मुख्यालय।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति 2018 लागू होने के फलस्वरूप नव नियुक्त परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (डी0एस0डी0) से एकरारनामा करने संबंधित निदेश को विलोपित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– निगम मुख्यालय का पत्रांक–7167 दिनांक–10.06.16

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि **बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम** के निगम निदेशक पर्षद की 152वीं0 बैठक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति 2018 का अनुमोदन किया गया जिसे लागू करने हेतु निगम मुख्यालय के पत्रांक–2649 दिनांक–16.03.18 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया है।

पूर्व में निगम मुख्यालय के पत्रांक–7167 दिनांक–10.06.16 के द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना, मुजफ्फरपुर एवं जहानाबाद को नव नियुक्त परिवहन हथालन–सह–आपूर्ति अभिकर्त्ता (DSD) को निदेश दिया गया था कि यदि पूर्व की दर 04 लाख जमानत की राशि एवं 05 लाख बैंक गारन्टी के साथ एकरारनामा करते हैं तो उनका कार्यकाल 01 वर्ष का होगा यदि नये दर 05 लाख जमानत की राशि एवं 10 लाख बैंक गारन्टी के साथ एकरारनामा करते है तो उनका कार्यकाल तीन वर्षो के लिए वैध होगा।

चूँकि 01 अप्रैल 2018 से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति 2018 प्रभावी हो जायेगा। अतः दिनांक– 01.04.2018 के प्रभाव से निगम मुख्यालय का पत्रांक–7167 दिनांक–10.06.16 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

अतएव 01 अप्रैल 2018 से परिवहन अभिकर्त्ता मुख्य एवं डी0एस0डी0 के चयन/नियुक्ति/एकरारनामा आदि के संबंध में जिला परिवहन समिति अथवा मुख्यालय परिवहन समिति द्वारा कोई भी निर्णय बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम परिवहन नीति 2018 के प्रावधानों के तहत ही लिये जायेंगे।

26.3.18

महाप्रबंधक(जन वितरण)।